

प्रेषक,

विजय कुमार—द्वितीय,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं0 5, हाथरस।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश,  
हाथरस।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या— 9691 / IV F-82 (Pension)/ admin.A दिनांकित 16 जुलाई, 2024 के अनुपालन में शासनादेश संख्या— 14/2024/सा-3-243 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या— 20/2024/सा-3-276 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी. 1) से हुई है। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं0-985/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 15.06.2006 को जनपद मऊ अपर सिविल जज (जू0डि0) के रूप में कार्य भार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0 A-2/E-1/2003 के अन्तर्गत हुई है। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश सं0-14/2024/सा-3-243 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या— 20/2024/सा-3-276 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

प्रार्थी शासनादेश सं0- 14/2024/सा-3-243 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या— 20/2024/सा-3-276 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-21.08.2024

( विजय कुमार—द्वितीय )  
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-05,  
जनपद हाथरस।  
आई0डी0 नं0-यू0पी0 6208

संलग्नक—शासनादेश सं0- 14/2024/सा-3-243 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या— 20/2024/सा-3-276 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

Office of the District Judge, HATHRAS  
No 2252 /xv/Chit Dated 21.08.24  
Forwarded To Registrar General  
Hon Ble High Court at Allahabad  
For Necessary Action

DISTRICT JUDGE  
HATHRAS

शासनादेश सं०- 14/2024/सा-3-243 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं  
शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276 /दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई,  
2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र :-

**विकल्प-पत्र**

1. नाम : विजय कुमार-द्वितीय, आई0डी0 यू0पी0 नं0 6208
2. वर्तमान पदनाम : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-05, जनपद हाथरस।
3. वेतनमान : 1,94,660/-
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग, उ० प्र० सरकार,
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम : उ०प्र० शासन, नियुक्ति अनुभाग-4(माध्यम-लोक सेवा आयोग, उ०प्र०)
6. विज्ञप्ति की तिथि : 15.11.2003 (विज्ञापन सं० A-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्तिअपर सिविल जज, जू०डि०, मऊ) की तिथि : 26.05.2006 (संख्या 2430/दो-4-6-32)(1)/2001 टी. सी. 1 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग 4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि : 15.06.2006 (अपर सिविल जज, जू०डि०, मऊ)
9. जन्म तिथि : 18.04.1978
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 30.04.2038

मैं विजय कुमार-द्वितीय पुत्र श्री स्व० श्री विभूति भूषण लाभ, शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

दिनांक-21.08.2024

हस्ताक्षर-

नाम- विजय कुमार-द्वितीय, आई0डी0 यू0पी0 नं0 6208  
पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष सं०-05, जनपद हाथरस।

**घोषणा-पत्र**

मैं विजय कुमार-द्वितीय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-05, जनपद हाथरस, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक-21.08.2024

हस्ताक्षर-

नाम- विजय कुमार-द्वितीय, आई0डी0 यू0पी0 नं0 6208  
पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष सं०-05, जनपद हाथरस।

**सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा**

श्री विजय कुमार-द्वितीय, पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-05, जनपद हाथरस, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
हाथरस।